क्रमांक 75–4 जी0एस0–II–72/10298

प्रेषक,

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

सेवा में,

1. सभी विभागाध्यक्ष, आयुक्त, अम्बाला मण्डल, सभी उपायुक्त तथा उप मण्डल अधिकारी, हरियाणा ।
2. रजिस्ट्रार, पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय और सभी जिला तथा सत्र न्यायाधीश, हरियाणा ।

चण्डीगढ दिनांक, 13 अप्रैल, 1982 ।

विषय : रक्षा सेवाओं में भर्ती के लिए इंजीनियरिंग तथा डाक्टरी सेवाओं में नये भर्ती होने वाले कर्मचारियों का दायित्व लियन, प्रवरता, स्थायीकरण तथा पदोन्नति का विनियम (Regulation) ।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनिवार्य दायित्व स्कीम के अन्तर्गत सैनिक सेवा में प्रवेश करने वाले इंजीनियरिंग तथा डाक्टरी सेवाओं में भर्ती सदस्यों को, उन पर लागू सम्बन्धित वर्तमान सेवा नियमों के उपबन्धों के अन्तर्गत लियन, वरिष्ठता, स्थायीकरण और पदोन्नति आदि सम्बन्धी लाभ देने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन रहा है । अब यह निर्णय लिया गया है कि जिन इंजीनियरियों, डाक्टरों को अनिवार्य दायित्व स्कीम के अन्तर्गत सैनिक सेवा करना अपेक्षित है वे उन्हीं लाभों के हकदार होंगे जोकि आपातकाल के दौरान सैनिक सेवा करने वाले सरकारी कर्मचारियों को पंजाब सरकार राष्ट्रीय आपातकाल (रियायतें)नियमावली 1965 के नियम 5 के अन्तर्गत दिए जाते हैं ।

यह अनुदेश सभी सम्बन्धित व्यक्तियों के ध्यान में लाये जायें तथा इस पत्र की पावती भेजें ।

भवदीय
हस्त/
उप सचिव, सामान्य प्रशासन
कृते0 मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार

क्रमांक 75–4 जी0एस0–II–72/10299 दिनांक, चण्डीगढ़ 13–4–72 ।

एक प्रति महालेखाकार, (सभी वित्तायुक्त और प्रशासनिक सचिव) हरियाणा, शिमला को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है ।